न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 019/2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह उम्र 40 वर्ष जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह उम्र 24 वर्ष जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ....**वादीगण**

ब ना म

1. गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र कौर पत्नी श्री गुरनाम सिंह जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. दर्शना रानी (पुत्री श्री गुरनाम सिंह) पत्नी श्री गुरदेव सिंह जाति रायसिख निवासी गांव पीरबक्स चौहान तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. ओमा देवी (पुत्री श्री गुरनाम सिंह) पत्नी श्री वजीर सिंह जाति रायसिख निवासी गांव घट्यावाली तहसील अरनीवाला जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. रूकसाना (पुत्री स्व0 श्री गुरदीप सिंह पुत्र गुरनाम सिंह) पत्नी श्री गुरजन्ट सिंह जाति रायसिख निवासी चक छांगा राय हिठाड़ तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर (पंजाब)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ...... **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

उपस्थित–	श्री ऋषिपाल जोशी	(वादीगण)
	श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी– 1 ता 5)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी– 6)

दिनांक 13.08.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0 कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित चक 5 सी बड़ी की कृषि भूमि वादी संख्या 01 के दादाजी व वादी संख्या 02 के पड़दादाजी हाकमसिंह पुत्र मेहर सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरण संख्या 289 दिनांक 19.08.1998 प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने का अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 की पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कृषि भूमि का इस प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है कि चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0 कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि, (जो प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है), में से प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह को 0316 है0, वादी संख्या 01 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह को 0.759 है0 तथा वादी संख्या 02

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह को 0.759 है0 कृषि भूमि हस्सा में आई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने–अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण खाद, बीज, पेस्टीसाईड, कृषि ऋण, सहकारी समिति आदि की सुविधाएं लेने से वंचित रहते है। वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 08.02.2020 को वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने प्रतिवादी संख्या 06 के समक्ष सहमति बंटवारा पेश किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 06 के द्वारा श्रीमान् जी न्यायालय में वाद पत्र पेश करने हेतू हिदायत दी गई तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने से साफ इन्कार कर दिया तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 ने भी इसी रोज इन्कार कर दिया, यही बिनाय मुखास्मत है। इसलिए वादीगण को वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 06 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के वारिस होने के कारण औपचारिक पक्षकार है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0 कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह को 0316 है0, वादी संख्या 01 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह को 0.759 है0 तथा वादी संख्या 02 राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह को 0.759 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर दिया जावे।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश किये जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिनांक 20.07.2020 को प्रतिवादिया संख्या 03 दर्शना रानी (पुत्री श्री गुरनाम सिंह) पत्नी श्री गुरदेव सिंह, प्रतिवादिया संख्या 04 ओमा देवी (पुत्री श्री गुरनाम सिंह) पत्नी श्री वजीर सिंह, प्रतिवादिया संख्या 05 रूकसाना (पुत्री स्व0 श्री गुरदीप सिंह पुत्र गुरनाम सिंह) पत्नी श्री गुरजन्ट सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी द्वारा जवाब वाद पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यों के अनुसार वाद पत्र की बिन्दु संख्या 1, 2, 3 स्वीकार है। वाद पत्र की बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में निवेदन है कि उतरदातागण दर्शना रानी व ओमा देवी के पिताजी, भाई व भतिजे तथा उतरदाता रूकसाना के दादाजी, चाचाजी व भाई ने पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में उतरदातागण सहमत है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो उतरदातागण को कोई आपति नहीं है। वाद पत्र की बिन्दु संख्या 5 व 6 वाद कारण से सम्बन्धित है तथा बिन्दू संख्या 7 व 8 कानूनी है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में मांगा गया अनुतोष प्रदान करवाने में उतरदातागण सहमत है। अतः जवाब वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर, राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

की जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0 कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 01 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह की 0.759 है0 तथा वादी संख्या 02 राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह की 0.759 है0 घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

दिनांक 07.09.2020 को पक्षकारान (वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02) द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत कर हस्ताक्षर अंकित करते हुए अपने—अपने पहचान—पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। पक्षकारान में वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पहचान अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी द्वारा की गई। राजीनामा के तथ्यों के अनुसार पक्षकारान का पंचायत द्वारा मौतबिरान लोगों ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0 कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 01 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह की 0.759 है0 तथा वादी संख्या 02 राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह की 0.759 है0 को बंटवारा में दी हुई है। अतः उक्त राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0 कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 01 जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह की 0.759 है0 तथा वादी संख्या 02 राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह की 0.759 है0 की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ—पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2071—2074 चक 5 सी बड़ी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र हिन्दूमलकोट खाता संख्या 30/28 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 01 के नाम विरासतन इन्तकाल खाता संख्या 91/72 ग्राम 5 सी बड़ी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र शिवपुर की प्रमाणित प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजों एवं जमाबंदियों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति/राजीनामा एवं इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी संख्या 01** गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0, कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि में से **वादी संख्या 01** जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह को 0.759 है0 तथा **वादी संख्या 02** राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह को 0.759 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13.08.2021 को जारी किया गया।

13/8/21

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 019/2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह उम्र 40 वर्ष जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह उम्र 24 वर्ष जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ....**वादीगण**

ब ना म

1. गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र कौर पत्नी श्री गुरनाम सिंह जाति रायसिख निवासीयान सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. दर्शना रानी (पुत्री श्री गुरनाम सिंह) पत्नी श्री गुरदेव सिंह जाति रायसिख निवासी गांव पीरबक्स चौहान तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. ओमा देवी (पुत्री श्री गुरनाम सिंह) पत्नी श्री वजीर सिंह जाति रायसिख निवासी गांव घट्यावाली तहसील अरनीवाला जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. रूकसाना (पुत्री स्व0 श्री गुरदीप सिंह पुत्र गुरनाम सिंह) पत्नी श्री गुरजन्ट सिंह जांति रायसिख निवासी चक छांगा राय हिठाड़ तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर (पंजाब)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ...... **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

उपस्थित–	श्री ऋषिपाल जोशी	(वादीगण)
	श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी– 1 ता 5)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी– 6)

दिनांक 19.08.2021

वादपत्र संख्या 019/2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी पैरोकार राज प्रतिवादी– 6 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी संख्या 01** गुरनाम सिंह पुत्र हाकम सिंह के नाम दर्ज चक 5 सी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 30/28 के मुरब्बा नम्बर 41 की 0.607 है0 व मुरब्बा नम्बर 54 की 1.227 है0, कुल 1.834 है0 नहरी कृषि भूमि में से **वादी संख्या 01** जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरनामसिंह को 0.759 है0 तथा **वादी संख्या 02** राजदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुरदीप सिंह को 0.759 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।
रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 अगस्त, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	कुल	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर